राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 18(10)शिक्षा/ग्रुप–3/2023 जयपुर, दिनांकः 06.10.2023

–: आदेश :–

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या– 215/2023 दिनांक 04.10.2023 की अनुपालना में राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेखाला जिला–जोधपुर (ग्रामीण) का नामकरण **"राव गोगादेवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेखाला जिला– जोधपुर (ग्रामीण)"** एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा.मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 215/2023 दिनांक 04.10.2023 के सन्दर्भ में।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव/उप शासन सचिव।
9. समस्त जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अपने स्तर से भिजवाने का श्रम करावें।
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. प्राचार्य, राव गोगादेवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेखाला जिला– जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जिला–जोधपुर ग्रामीण।
16. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
शासन उप सचिव
Digitally signed by B[illegible] Mohan Nogia
Designation : Dep[illegible] Secretary
Date: 2023.1[illegible]6 [illegible]:38:48 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref No. : 4860301

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 12 (कन्या सेखाला)/आयो/आकाशि/**2022–10545**

विषयः– मंत्रिमंण्डल की आज्ञा संख्या 215/2023 दिनांक 04.10.2023 की अनुपालना में राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेखाला जिला–जोधपुर (ग्रामीण) का नामकरण **"राव गोगादेवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेखाला जिला–जोधपुर (ग्रामीण)"** करने का आदेश पृष्ठांकन बाबत।

संदर्भः–शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग का आदेश क्रमांक प.18(10)शिक्षा ग्रुप–3/2023 जयपुर, दिनांक 06.10.2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली–110002
4. निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) पो.बॉक्स नं.1075 नागरभावी, बैगलौर ।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
6. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. संबंधित कुल सचिव विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा प्राचार्य, राव गोगादेवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेखाला जिला–जोधपुर (ग्रामीण) ।
8. प्राचार्य, राव गोगादेवजी राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेखाला जिला–जोधपुर (ग्रामीण) ।
9. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

(डॉ.विमलेश सोनी)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

Signature valid
Digitally signed by V esh Soni
Designation Asso te Professor
Date: 2023.1 6 .10:00 IST
Reason: Appro

RajKaj Ref No. : 4862918